

प्रति

- (1) सभी सदस्य
- (2) निदेशक
- (3) सांविधिक लेखा परीक्षक

नोटिस

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि ईसीजीसी लिमिटेड की असाधारण आम बैठक दिनांक 07 दिसंबर, 2018, शुक्रवार, को 15 : 00 बजे कक्ष संख्या 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001 में आयोजित की जाएगी; जिसमें निम्नलिखित मद शामिल हैं:

विशेष मद:

1. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:
"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 3 को कंपनी के अंतरनिर्णय से हटाया जा सकता है :

कोट: -

अनुच्छेद 3 .- कंपनी एक निजी कंपनी है और तदनुसार: -

(क) कंपनी के शेयरों को स्थानांतरित करने का अधिकार सीमित है जो इसके बाद दर्शाए गए हैं;

(ख) कंपनी में किसी भी समय के लिए सदस्यों की संख्या (कंपनी के नियोजन में शामिल व्यक्तियों और विशेष रूप से कंपनी के नियोजन में शामिल व्यक्तियों के सदस्य कंपनी के सदस्य थे, जबकि नियोजन समाप्त होने के बाद नियोजन और सदस्य बने रहे हैं) पैंतालीस से अधिक नहीं होगी, जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास एक या अधिक शेयर होंगे कंपनी में संयुक्त रूप से, वे इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, एक सदस्य के रूप में माना जाएगा,

(ग) किसी भी शेयर या डिबेंचर स्टॉक के लिए सदस्यता लेने के लिए आम जनता हेतु आमंत्रण निषिद्ध है।

अनकोट-

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणामक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है । "

2. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

“यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 20 को कंपनी के अंतरनिर्णय से हटाया जा सकता है :

कोट-

अनुच्छेद 20.- सदस्यों को अपने शेयरों को स्थानांतरित करने का अधिकार होगा इस प्रकार प्रतिबंधित -

(क) राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को किसी सदस्य या अन्य व्यक्तियों, जो इसके लिए प्राधिकृत हों, द्वारा शेयर स्थानांतरित किए जा सकते हैं ;

(ख) उपरोक्त के विषय में, निदेशक, अपने पूर्ण और अनियंत्रित विवेकाधिकार में, शेयरों के प्रस्तावित हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इंकार कर सकते हैं ।

अनकोट-

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है । ”

3. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

“यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 84 को कंपनी के अंतरनिर्णय में प्रतिस्थापित किया जा सकता है :

अनुच्छेद 22 (क) .- भारत के राष्ट्रपति और / या उनके नामांकित व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरण के मामले में:

कंपनी में शेयर निम्नलिखित प्रारूप या किसी भी प्रचलित या सामान्य रूप में जिसे बोर्ड स्वीकृति देगा, में स्थानांतरित किया जाएगा : -

मैं एबीको सीडी द्वारा भुगतान की गई राशि के एवज में.....

(आगे हस्तांतरी लिखा जाएगा) को शेयर संख्या ___ से ___ तक (दोनों शामिल हैं)

को हस्तांतरित करता हूँ , जो उपक्रम में जिसे कंपनी लिमिटेड, कहा जाता है

के हैं, जिन्हें उनके निष्पादकों, प्रशासकों और असाइन किए गए हस्तांतरण के

लिए, विभिन्न परिस्थितियों के अधीन, जिस पर इस निष्पादन से पहले तक मेरे पास

हैं, हस्तांतरी को, उपर्युक्त शर्तों के अधीन, इस तरह के शेयर (या शेयर) लेने के

लिए सहमत हूँ।

हमारे गवाह के रूप में

..... की तारीख को

हस्ताक्षर के लिए गवाह, इत्यादि। "

(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा हस्तांतरण के मामले में:
किसी भी शेयर के हस्तांतरण के साधन लिखित रूप में और निर्धारित कंपनी
अधिनियम, 2013 की धारा 56 (1) के तहत, समय-समय पर संशोधित रूप में
किया जाएगा।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी
सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो,
जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है। "

4. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में
पारित करने हेतु:

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14
और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित
अनुच्छेद संख्या 84 को कंपनी के अंतरनिियम में प्रतिस्थापित किया जा सकता है

:

अनुच्छेद 24.- (क) बोर्ड के पास यह अधिकारी होंगे कि अधिनियम की धारा 91 के
अनुसार, जिलास्तरीय, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, समाचार पत्रों में
विज्ञापन के जरिए सात दिन पूर्व सूचना देकर, हस्तांतरण रजिस्टर, सदस्यों का
रजिस्टर या डिबेंचर धारकों के पंजीकरण का रजिस्टर उस अवधि या अवधि के
लिए एक समय में तीस दिन से अधिक नहीं हो और प्रत्येक वर्ष में कुल पैंतालीस
दिनों से अधिक न हो के लिए बंद कर सकता है।

(ख) कंपनी "हस्तांतरण का रजिस्टर" नामक पुस्तक रखेगी और इसमें किसी भी
शेयर के प्रत्येक स्थानांतरण या संचरण के विवरणों को पर्याप्त और स्पष्ट रूप से
प्रवेश किया जाएगा।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा जो अवयस्क या
विक्षिप्त है।

(घ) किसी भी शेयर के संयुक्त धारकों के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में नामित एक
या अधिक व्यक्तियों की दिवालियापन या परिसमापन के मामले में, शेष शेयर
धारक या शेयर धारक कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे जो इस तरह के शेयर
के पात्र हैं या , हितधारक हैं , लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है, जो किसी
अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उनके शेयरों पर किसी भी उत्तरदायित्व हेतु
व्यक्ति की संपत्ति को जारी करने के लिए लिया जाएगा।

(ई) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी सदस्य के
दिवालियापन या परिसमापन के परिणामस्वरूप शेयरों का हकदार हस्तांतरण से

इतर, बोर्ड की सहमति से ,जिसके लिए बोर्ड बाध्य नहार्ई है ,जो कि यह प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि वह इस अनुच्छेद के तहत प्रस्तावित कार्य के लिए पात्र है, बोर्ड की पर्याप्त संतुष्टि पर या तो धारक के रूप में स्वयं पंजीकृत होता है अथवा उसके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति को नामित किया जाता है तथा बोर्ड द्वारा ऐसे शेयर के धारक के रूप में पंजीकरण को अनुमोदित किया गया है।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है । "

5. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 84 को कंपनी के अंतरनिियम में प्रतिस्थापित किया जा सकता है

:

अनुच्छेद 25 .- प्रोबेट, एल ओ ए, आदि के पंजीकरण पर लागू शुल्क हस्तांतरण, संचरण, प्रोबेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और प्रशासनिक पत्र, मृत्यु या शादी का प्रमाण पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी या इसी तरह के अन्य दस्तावेज के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है । "

6. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 84 को कंपनी के अंतरनिियम में प्रतिस्थापित किया जा सकता है

:

अनुच्छेद 28 (क) .- (1) वह व्यक्ति जो हकदार होने जा रहा है तो, वह स्वयं को शेयर धारक के रूप में पंजीकृत करना होगा एवं वह कंपनी को लिखित में हस्ताक्षरित एक नोटिस दिया जाएगा कि वह ऐसा करने की सूचना होगी।

(2) यदि उपरोक्त व्यक्ति शेयर को स्थानांतरित करने का चयन करेगा, तो उनको शेयर के हस्तांतरण के जरिए इसका प्रमाणन देना होगा ।

(3) हस्तांतरण के अधिकार और शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित इन नियमों की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान उपरोक्त के रूप में ऐसी किसी भी नोटिस या हस्तांतरण पर लागू होंगे जैसे कि सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुआ हो और नोटिस या स्थानांतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्तांतरण था।

(ख) कंपनी के पंजीकरण अथवा हस्तांतरण के परिणामस्वरूप किसी भी देयता या जिम्मेदारी नहीं लेती है या स्पष्ट कानूनी मालिक द्वारा किए गए शेयरों के किसी भी हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करती है (जैसा कि सदस्यों के रजिस्टर में दिखाया गया है या दिखाई देता है) किसी भी शेयर के लिए या किसी भी न्यायसंगत अधिकार, शीर्षक या हितधारक व्यक्तियों का इसके बावजूद कि कंपनी को ऐसे हस्तांतरण के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने वाले इस तरह के न्यायसंगत अधिकार, शीर्षक या हित या नोटिस हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि इस तरह के नोटिस में उल्लेख किया हो या कंपनी और कंपनी के किसी भी रजिस्टर में इसका उल्लेख किया गया है, किसी भी न्यायसंगत हक या हित के लिए उन्हें दिए गए किसी भी नोटिस को भुनाने या उपस्थिति या प्रभाव देने के लिए या किसी भी देयता के तहत इनकार करने या उपेक्षित करने के लिए ऐसा करने के लिए बाध्य या आवश्यक नहीं होगा हालांकि इसे कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो या संदर्भित किया गया हो लेकिन कंपनी को इस तरह की किसी भी सूचना जिसे निदेशक उचित समझें के संबंध में सहमति और उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी ।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है । "

7. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 84 को कंपनी के अंतरनिियम में प्रतिस्थापित किया जा सकता है:

अनुच्छेद 40 (क) .- कंपनी की आम बैठक को लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रासंगिक लागू अधिनियम / नियमों के अनुसार कम से कम 21 दिन के नोटिस देकर आयोजित की जा सकती है।

(ख) यदि वोट करने के पात्र कम से कम 95 प्रतिशत सदस्यों द्वारा सहमति दी जाती है तो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों अल्पसूचना देकर भी आम बैठक बुलाई जा सकती है ।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है । "

8. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 57 को कंपनी के अंतरनिर्णय में प्रतिस्थापित किया जा सकता है :

अनुच्छेद 57.- निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, यह अधिक सह प्रबंध निदेशक (जहां पद एक ही एवं उसी व्यक्ति द्वारा धारण किया गया हो), एक कार्यपालक निदेशक/ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक (परिचालन)/ वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक एवं तीन से कम नहीं और तेरह से अधिक निदेशक से अधिक नहीं, निदेशक होंगे।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है । "

9. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 63 को कंपनी के अंतरनिर्णय में प्रतिस्थापित किया जा सकता है :

अनुच्छेद 63.- अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक (परिचालन) और अन्य निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा, जब भी उपयुक्त समझें, नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, यह अधिक सह प्रबंध निदेशक (जहां पद एक ही एवं उसी व्यक्ति द्वारा धारण किया गया हो) एवं कार्यपालक निदेशक(कों) को राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित

वेतन एवं/अथवा भत्ते देय होंगे। सरकारी निदेशकों के अलावा अन्य निदेशक अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। बशर्ते कि कंपनी के बोर्ड पर नियुक्ति यथासंभव निम्नलिखित पैटर्न के अनुरूप हो:

| श्रेणी | स्थानों की संख्या |
|--|--------------------------|
| i) सरकारी निदेशक | 2 |
| क) वाणिज्य मंत्रालय | |
| ख) वित्त मंत्रालय | |
| ii) भारतीय रिजर्व बैंक | 1 |
| iii) एक्विजिमेंट बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक | 1 |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | |
| iv) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ | |
| अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सरकार द्वारा मनोनीत | 2 |
| v) भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ | |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 1 |
| vi) फियो के अध्यक्ष | 1 |
| vii) किसी भी ईपीसी के अध्यक्ष | 1 |
| viii) सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले निर्यात | |
| से जुड़े गैर-सरकारी सदस्य | 4 |

बशर्ते यह भी कि कंपनी में कर्मचारी होने के कारण यदि किसी व्यक्ति को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया है एवं निदेशक पद की अवधि के दौरान वह त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या अन्य कारण, यह कंपनी से बाहर किसी अन्य पद पर स्थानांतरण होने के कारण कंपनी में नियोजन समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से जिससे उसका कंपनी में नियोजन समाप्त हुआ है या स्थानांतरण हुआ है से निदेशक पद भी समाप्त हो जाएगा।

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को कार्यालय से हटाया जा सकता है और इस तरह के निष्कासन की स्थिति में अथवा त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा के कारण कार्यालय में किसी भी रिक्ति की स्थिति में रिक्त पद पर नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का होगा।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणामात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है। "

10. संशोधनों के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

“यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसार धारा 14 और अन्य सभी लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान निम्नलिखित अनुच्छेद संख्या 84 को कंपनी के अंतरनिर्णय में प्रतिस्थापित किया जा सकता है :

अनुच्छेद 84 .- बोर्ड या समिति की बैठक के लिए कोरम, जब तक समिति के संदर्भ शर्तों में निर्दिष्ट न हो, कुल पदों की दो तिहाई (एक तिहाई में किसी भी अपूर्णाक को एक माना जाएगा) अथवा दो निदेशक जो भी अधिक हो, होगी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से प्रतिभागिता को द्वारा कोरम के उद्देश्य के लिए गणना में शामिल किया जाएगा।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एतद द्वारा ऐसी सभी कार्य करने हेतु जो आकस्मिक या परिणात्मक और / या आवश्यक या त्वरित हो, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए हों, के लिए प्राधिकृत किया गया है। ”

आदेशानुसार

निदेशक मंडल के

(स्मिता वी पंडित)
कंपनी सचिव

तारीख : 15 नवंबर, 2018

स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय :

एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल,

नरीमन पॉइंट,

मुंबई -400021

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार मद संख्या 1 से 10 में उल्लेखित विशेष मदों के संबंध में स्पष्टीकरण कथन संलग्न है।
2. उपस्थित होने और वोट करने के लिए आधिकारिक सदस्य, स्वयं के स्थान पर प्रोक्सी एवं वोट करने के लिए अधिकृत हैं और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रोक्सी, वैधता की जांच के उद्देश्य से, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

असाधारण सामान्य बैठक नोटिस का एक भाग तथा इससे

सम्बद्ध व्याख्यात्मक आख्यान

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अंतर्गत अपेक्षित निम्लिखित व्याख्यात्मक आख्यान, दिनांक 15 नवम्बर, 2018 को जारी संलग्न नोटिस में वर्णित मद संख्या 1 से 10(दोनों शामिल) से सम्बंधित आवश्यक तथ्यों की स्थापना करता है
कम्पनी के बाह्य नियमों के अनुच्छेद 3, 20, 22, 24, 25, 28, 40, 57, 63 तथा 84 में परिवर्तन

विषय:

1.0 कम्पनी के अंतर्नियमों (एओए) में प्रस्तावित परिवर्तनों पर शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना |

पृष्ठभूमि:

A: कम्पनी का प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में रूपांतरण-

2.1 ईसीजीसी की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत हुई तथा यह दिनांक 27 सितम्बर, 2002 को बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत भारतीय बीमा एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के साथ पंजीकृत है।

2.2 बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय बीमा कम्पनी का अर्थ है कोई बीमाकर्ता जो कि शेयरों के अनुसार कम्पनी लिमिटेड है तथा जिसकी स्थापना तथा पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक कम्पनी के रूप में हुआ है अथवा बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के लागू होने के उपरांत उसमें परिवर्तित हो गयी है। लागू प्रावधानों के अनुसार ईसीजीसी का पब्लिक लिमिटेड के रूप में रूपांतरण एक सांविधिक आवश्यकता है।

2.3 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में रूपांतरित करने के लिये, कम्पनी के अंतर्नियमों को इस प्रकार परिवर्तित किया

जाना चाहिये कि जिससे कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी पर लागू होने वाले आवश्यक अनुच्छेद निर्बंधन शामिल न रहें।

2.4 बोर्ड के सदस्यों द्वारा कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 3, 20, 22, 24, 25, 28 तथा 40 में संशोधन के लिये शेयरधारकों के अनुमोदन की शिफारिश की है जो कि निम्नलिखित है-

| एओए के वर्तमान अनुच्छेद | एओए के प्रस्तावित अनुच्छेद |
|--|---|
| <p>अनुच्छेद 3 कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है एवं इसके अनुसार:-</p> <p>(a) कम्पनी के शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार एतन्मिनपश्चात दिये गये निर्बंधनों के अनुसार संरक्षित है:</p> <p>(b) किसी भी समय में कम्पनी के सदस्यों की संख्या (कम्पनी के रोजगार में शामिल व्यक्तियों और विशेष रूप से कम्पनी के रोजगार में मौजूद व्यक्ति जो कि कम्पनी के सदस्य थे, जबकि उसमें रोजगार समाप्त होने के बाद भी सदस्य बने रहे हैं को छोड़कर) पचास से अधिक नहीं होगा, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कम्पनी में एक या एक से अधिक शेयर रखते हैं, वे इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए एक सदस्य के रूप में माना जाएगा </p> <p>(ग)कम्पनी के किसी शेयर अथवा दिबेंचर स्टॉक की खरीद के लिये कोई निमंत्रण इसके उपरांत निषेध है।</p> | <p>अनुच्छेद 3 निरस्त किया जाना चाहिये।</p> |
| <p>अनुच्छेद 20 सदस्यों के शेयरों को हस्तांतरित करने के अधिकार निम्नलिखित अनुसार प्रतिबन्धित होंगे-</p> <p>-</p> | <p>अनुच्छेद 20 निरस्त किया जाना चाहिये</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(a) किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा जो कि शेयर के हस्तांतरण हेतु प्राधिकृत है वे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति को शेयर हस्तांतरित कर सकते हैं।</p> <p>(b) पूर्वोक्त विषय के अनुसार, निदेशक चाहे तो अपने पूर्ण तथा बिना किसी अंकुश के विवेकाधिकारों के अंतर्गत शेयर के किसी भी प्रस्तावित हस्तांतरण से माना कर सकता है।</p> | |
| <p>अनुच्छेद 22 कम्पनी के शेयर का हस्तांतरण, निम्नलिखित फॉर्म अथवा किसी भी सामान्य फार्म जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो में किया जा सकता है:-</p> <p>मैं.....का कख; रु..... की प्राप्ति पर जिसका मुझे..... के गघ द्वारा भुगतान किया गया(एतत्पश्चात् अंतरिती कहलाएगा) एतद्वारा अंतरिती को शेयर(अथवा शेयर्स) हस्तांतरित करता हूँ जिनकी संख्या.... कोसहित, उपक्रम में जो किकम्पनी लिमिटेड कहलाती है, को उक्त अंतरिती इसके सम्पादनकर्ताओं, प्रशासको तथा नियतकर्ताओं, कई शर्तों के अधीन जिनका मैंने इस सम्पादन से पूर्व परिपालन किया है; तथा मैं अंतरिती, एतद्वारा उक्त शेयर(शेयरों को) ग्रहण करने के लिये अपनी सहमति देता हूँ जो कि उपरोक्त शर्तों के अधीन है।</p> <p>साक्षी के रूप मे हमारे हाथ यह..... दिन..... के हस्ताक्षर का साक्षी, आदि।</p> | <p>अनुच्छेद 22 (a) भारत के राष्ट्रपति तथा अथवा उनके प्रत्याशियों द्वारा हस्तांतरण की स्थिति में:</p> <p>कम्पनी के शेयर का हस्तांतरण, निम्नलिखित फॉर्म अथवा किसी भी सामान्य फार्म जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो में किया जा सकता है:-</p> <p>.....का कख; रु..... की प्राप्ति पर जिसका मुझे..... के गघ द्वारा भुगतान किया गया(एतत्पश्चात् अंतरिती कहलाएगा) एतद्वारा अंतरिती को शेयर(अथवा शेयर्स) हस्तांतरित करता हूँ जिनकी संख्या.... कोसहित, उपक्रम में जो किकम्पनी लिमिटेड कहलाती है, को उक्त अंतरिती इसके सम्पादनकर्ताओं, प्रशासको तथा नियतकर्ताओं, कई शर्तों के अधीन जिनका मैंने इस सम्पादन से पूर्व परिपालन किया है; तथा मैं अंतरिती, एतद्वारा उक्त शेयर(शेयरों को) ग्रहण करने के लिये अपनी सहमति देता हूँ जो कि उपरोक्त शर्तों के अधीन है।</p> <p>साक्षी के रूप मे हमारे हाथ यह..... दिन..... के हस्ताक्षर का साक्षी, आदि।</p> <p>(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त हस्तांतरण की स्थिति में :</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>किसी भी शेयर के हस्तांतरण का साधन लिखित में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 (1) के तहत निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।</p> |
| <p>अनुच्छेद 24 स्थानांतरण के पंजीकरण किसी समय पर और ऐसी अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है जैसा कि बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे:</p> <p>यद्यपि ऐसे पंजीकरण को एक वर्ष में 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिये निलम्बित नहीं किया जा सकता </p> | <p>अनुच्छेद 24</p> <p>(क) बोर्ड के पास, अधिनियम के धारा 91 के अनुसार, जिस जिले में उसका पंजीकृत कार्यालय है उस जिले में सक्रिय कुछ समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा, स्थानांतरण बुक्स, सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिबेंचर धारक के रजिस्टर को सात दिन की पूर्व सूचना देकर बंद करने की शक्ति होगी तथा ऐसे समय पर या इतनी बार जो कि एक बार में 30 दिनों से अधिक नहीं होगा तथा वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक नहीं होगा जैसा भी समाचीन प्रतीत हो।</p> <p>(ख) कंपनी "स्थानांतरण का रजिस्टर" नामक एक बुक रखेगी और इसमें किसी भी शेयर के प्रत्येक स्थानांतरण या संचरण के विवरणों की अलग-अलग और स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाएगी।</p> <p>(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा जो नाबालिग अथवा अस्वस्थ दिमाग का हो।</p> <p>(घ) किसी भी हिस्से के संयुक्त धारकों के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में नामित एक या अधिक व्यक्तियों की दिवालियापन या परिसमापन के मामले में, शेष धारक या धारक कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र व्यक्ति होंगे, जिनके पास कोई शीर्षक है, या इस तरह के शेयर में दिलचस्पी है, लेकिन यहां कुछ भी शामिल नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उनके द्वारा आयोजित शेयरों पर किसी भी उत्तरदायित्व से दिवालियापन या परिसमापन के तहत</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>व्यक्ति की संपत्ति को रिहा करने के लिए लिया जाएगा।</p> <p>(च) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी भी व्यक्ति को किसी भी सदस्य के दिवालियापन या परिसमापन के परिणामस्वरूप शेयरों का अधिकार प्राप्त होता है तो, इन उपहारों के अनुसार हस्तांतरण के अलावा किसी भी वैध माध्यम से, बोर्ड की सहमति के साथ, जिसे प्रदान करने के लिये बोर्ड बाध्य नहीं होगा, इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराने पर कि वह उस चरित्र को बनाए रखता है जिसके संबंध में वह इस लेख के तहत कार्य करने का प्रस्ताव करता है, या बोर्ड के रूप में बोर्ड सोचता है कि शेयरों के धारक के रूप में खुद को पंजीकृत किया गया है या उसके द्वारा मनोनीत कुछ व्यक्ति को चुना गया है और ऐसे शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।</p> |
| <p>अनुच्छेद 25 कंपनी प्रत्येक प्रोबेट, प्रशासन के पत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र या शादी, मुख्तारनामा, या अन्य साधनों के पंजीकरण पर दो रुपये तक शुल्क लेने का हकदार होगा।</p> | <p>अनुच्छेद 25 प्रोबेट, एलओए आदि के पंजीकरण पर शुल्क का आरोपण: स्थानांतरण, ट्रांसमिशन, प्रोबेट, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रबंधन पत्र मृत्यु तथा विवाह प्रमाणपत्र मुख्तारनामा अथवा इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा।</p> |
| <p>अनुच्छेद 28 (1) यदि व्यक्ति, जो अधिकार प्राप्त करने पर, स्वयं को शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किये जाने का चुनाव करता है तो, तो वह कंपनी को हस्ताक्षरित लिखित नोटिस देगा या भेजेगा जिसमें यह उक्त हो कि वह ऐसा करने का चुनाव करता है।</p> <p>(2) यदि उपरोक्त व्यक्ति शेयर को</p> | <p>अनुच्छेद 28 (क)(1) यदि व्यक्ति, जो अधिकार प्राप्त करने पर, स्वयं को शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किये जाने का चुनाव करता है तो, तो वह कंपनी को हस्ताक्षरित लिखित नोटिस देगा या भेजेगा जिसमें यह उक्त हो कि वह ऐसा करने का चुनाव करता है।</p> <p>(2) यदि उपरोक्त व्यक्ति शेयर को</p> |

| | |
|---|---|
| <p>स्थानांतरित करने का चुनाव करेगा, तो वह शेयर के हस्तांतरण को निष्पादित करके अपने चयन की पुष्टि करेगा।</p> <p>(3) हस्तांतरण के अधिकार और शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित इन नियमों की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान उपरोक्त के रूप में ऐसी किसी भी नोटिस या हस्तांतरण पर लागू होंगे जैसे कि सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुई थी और नोटिस या स्थानांतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्तांतरण था।</p> | <p>स्थानांतरित करने का चुनाव करेगा, तो वह शेयर के हस्तांतरण को निष्पादित करके अपने चयन की पुष्टि करेगा।</p> <p>(3) हस्तांतरण के अधिकार और शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित इन नियमों की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान उपरोक्त के रूप में ऐसी किसी भी नोटिस या हस्तांतरण पर लागू होंगे जैसे कि सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुई थी और नोटिस या स्थानांतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्तांतरण था।</p> <p>(ख) कम्पनी द्वारा , सम्बंधित कानूनी मालिक द्वारा किये गए शेयरों के अंतरण अथवा वसीयतनामे के पंजीकरण अथवा उन्हें प्रभावी करने सदस्यों के रूप में रजिस्टर में) (उल्लिखित अनुसार के परिणाम स्वरूप यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन्ही शेयरों पर सामान अधिकार अथवा हित अथवा हक़ की मांग की जाए तो कम्पनी द्वारा इस प्रकार के शेयरों के अंतरण को प्रतिबंधित करते हुए नोटिस जारी करने की किसी प्रकार की देयता नहीं होगी भले ही कम्पनी को इस प्रकार के अधिकार, हक़ अथवा हित सम्बन्धी नोटिस की जानकारी हो अथवा उसके द्वारा कम्पनी के किसी भी बही में इस प्रकार के नोटिस की प्रविष्टि की गयी हो न ही कम्पनी के लिए यह बाध्यकारी अथवा आवश्यक है कि वह उसे , सामान हक़ अथवा हित अथवा किसी भी प्रकार की देयता को नामंजूर करने अथवा नज़रंदाज करने के लिए उसे दिए गए किसी भी प्रकार के नोटिस पर कार्यवाही करे , भले ही उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कंपनी के किसी बही में प्रविष्टि की गयी हो , परन्तु यह कम्पनी का अधिकार होगा कि यदि निदेशक मंडल चाहे तो कम्पनी द्वारा इस प्रकार के नोटिस पर कार्यवाही की जा सकती है .</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>अनुच्छेद 40 कम्पनी का साधारण बैठक कम से कम 7 दिनों के लिखित नोटिस दिये बिना नहीं बुलाई जानी चाहिये।</p> | <p>अनुच्छेद 40 (क) कम्पनी की साधारण बैठक कम से कम 21 दिनों के लिखित नोटिस, अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिये जैसा भी सम्बंधित लागू अधिनियम/नियमों में वर्णित हो, देकर बुलाई जा सकती है। (ख) सामान्य बैठक कम अवधि के नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है यदि इस प्रकार की बैठक में वोट देने के अधिकारी कम से कम पंचान्यवे प्रतिशत सदस्यों द्वारा इस हेतु लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी सहमति दी गई हो।</p> |
|---|--|

ख:अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद का विभाजन तथा कार्यपालक अधिकारियों का कम्पनी के बोर्ड में प्रतिनिधित्व-

2.5 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों सहित कुछ वित्तीय सस्थाओं के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकके पद के विभाजन के भारत सरकार के निर्णय से तादात्म्य बिठाते हुए, कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन का प्रस्ताव, बोर्ड में एक्सिम बैंक, जीआईसी तथा राष्ट्रीकृत बैंकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये किया गया है।

2.6 बोर्ड के सदस्यों द्वारा एओए के अनुच्छेद 57 तथा 63 में निम्नानुसार परिवर्तन का अनुमोदन शेयरधारकों से प्राप्त करने की सिफरिश की है-

| एओए के वर्तमान अनुच्छेद | एओए के प्रस्तावित अनुच्छेद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----|---|---|-----|---------------------|---|------|----------------------|---|--|--|------|----------------|----|---|---|-----|---------------------|---|
| <p>अनुच्छेद 57 निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां कार्यालय एक और एक ही व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है), एक कार्यकारी निदेशक और तीन से कम नहीं और तेरह अन्य निदेशकों से अधिक नहीं, शामिल होंगे।</p> | <p>अनुच्छेद 57 निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक या एक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां कार्यालय एक और एक ही व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है), एक कार्यकारी निदेशक / कार्यकारी निदेशक (नीति मामलों) / कार्यकारी निदेशक (संचालन/ वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक) तथा तीन से कम नहीं एवं तेरह अन्य निदेशकों से अधिक नहीं शामिल होंगे।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>अनुच्छेद 63</p> <p>अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक और अन्य निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा ऐसे समय तक के लिए नियुक्त किया जाएगा जब तक वह उपयुक्त समझा जाए। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां कार्यालय एक तथा समान व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है), तथा नियुक्त कार्यकारी निदेशक ऐसे वेतन और / या भत्ते प्राप्त करेंगे जिसे राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं। सरकारी निदेशकों के अलावा अन्य निदेशक अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।</p> <p>बशर्ते कि निगम की कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति यथासंभव निम्नलिखित पैटर्न के अनुरूप हो:</p> | <p>अनुच्छेद 63</p> <p>अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक / कार्यकारी निदेशक (नीति मामलों) / कार्यकारी निदेशक (संचालन) / वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक और अन्य निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा ऐसे समय के लिए नियुक्त किया जाएगा जैसा वह उपयुक्त समझेंगे। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां कार्यालय एक एवं समान व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है), एक कार्यकारी निदेशक / कार्यकारी निदेशक (नीति मामले) / कार्यकारी निदेशक (संचालन) / नियुक्त वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक ऐसे वेतन और / या भत्ते प्राप्त करें जोकि राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं। सरकारी निदेशकों के अलावा अन्य निदेशक अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। बशर्ते कि कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति यथासंभव निम्नलिखित पैटर्न के अनुरूप हो:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" data-bbox="341 1480 869 1928"> <thead> <tr> <th></th> <th>वर्ग</th> <th>पदों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i)</td> <td>सरकारी निदेशक क) वाणिज्य मंत्रालय ख) वित्त मंत्रालय</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ii)</td> <td>भारतीय रिज़र्व बैंक</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>iii)</td> <td>अध्यक्ष, एक्सिम बैंक</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | | वर्ग | पदों की संख्या | i) | सरकारी निदेशक क) वाणिज्य मंत्रालय ख) वित्त मंत्रालय | 2 | ii) | भारतीय रिज़र्व बैंक | 1 | iii) | अध्यक्ष, एक्सिम बैंक | 1 | <table border="1" data-bbox="888 1644 1422 1980"> <thead> <tr> <th></th> <th>वर्ग</th> <th>पदों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i)</td> <td>सरकारी निदेशक क) वाणिज्य मंत्रालय ख) वित्त मंत्रालय</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ii)</td> <td>भारतीय रिज़र्व बैंक</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | | वर्ग | पदों की संख्या | i) | सरकारी निदेशक क) वाणिज्य मंत्रालय ख) वित्त मंत्रालय | 2 | ii) | भारतीय रिज़र्व बैंक | 1 |
| | वर्ग | पदों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | सरकारी निदेशक क) वाणिज्य मंत्रालय ख) वित्त मंत्रालय | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | भारतीय रिज़र्व बैंक | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii) | अध्यक्ष, एक्सिम बैंक | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वर्ग | पदों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | सरकारी निदेशक क) वाणिज्य मंत्रालय ख) वित्त मंत्रालय | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | भारतीय रिज़र्व बैंक | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| iv) | राष्ट्रीकृत बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। | 2 | iii) | एक्सिम बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 1 |
| v) | भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक | 1 | iv) | राष्ट्रीकृत बैंकों के अध्यक्ष ,प्रबंध निदेशकों तथा अध्यक्ष एवं ं प्रबंध निदेशकों को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा । | 2 |
| vi) | एफआईईओ के अध्यक्ष | 1 | v) | भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक | 1 |
| vii) | किसी भी ईपीसी के अध्यक्ष | 1 | vi) | एफआईईओ के अध्यक्ष | 1 |
| viii) | निर्यातों से सम्बंधित गैर-आधिकारिओं को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। | 4 | vii) | किसी भी ईपीसी के अध्यक्ष | 1 |
| <p>बशर्ते कि जहां एक व्यक्ति निगम के कर्मचारी होने के नाते निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो और निदेशक के रूप में अपने कार्यालय की अवधि के दौरान, इस्तीफा, सेवानिवृत्ति या अन्यथा के कारण कम्पनी के कर्मचारी न रह गए हों, या निगम के बाहर किसी पद में स्थानांतरित कर दिया जाता है, वह उस तारीख से ऐसे निदेशक नहीं रह जाएंगे जिस तारीख पर वह निगम के कर्मचारी न रह गए हों या मामले के अनुरूप, उसके हस्तांतरण की तारीख से हो सकती है।</p> <p>राष्ट्रपति समय-समय पर अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को कार्यालय से हटा सकते हैं और इस तरह के निष्कासन की स्थिति में या इस्तीफे, मृत्यु या अन्य कारण से कार्यालय में किसी भी रिक्ति की स्थिति में, राष्ट्रपति को रिक्त पद पर नियुक्ति करने का अधिकार होगा।</p> | | | viii) | निर्यातों से सम्बंधित गैर-आधिकारिओं को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। | 4 |
| | | | <p>बशर्ते कि जहां एक व्यक्ति निगम के कर्मचारी होने के नाते निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो और निदेशक के रूप में अपने कार्यालय की अवधि के दौरान, इस्तीफा, सेवानिवृत्ति या अन्यथा के कारण कम्पनी के कर्मचारी न रह गए हों, या निगम के बाहर किसी पद में स्थानांतरित कर दिया जाता है, वह उस तारीख से ऐसे निदेशक नहीं रह जाएंगे जिस तारीख पर वह निगम के कर्मचारी न रह गए हों या मामले के अनुरूप, उसके हस्तांतरण की तारीख से हो सकती है।</p> <p>राष्ट्रपति समय-समय पर अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को कार्यालय से हटा सकते हैं और इस तरह के निष्कासन की स्थिति में या इस्तीफे, मृत्यु या अन्य कारण से कार्यालय में किसी भी रिक्ति की स्थिति में, राष्ट्रपति को रिक्त पद पर नियुक्ति करने का अधिकार</p> | | |

| | |
|--|-------|
| | होगा। |
|--|-------|

ग. निदेशक मंडल अथवा समितियों की बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से प्रतिभागिता

2.7 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के प्रावधानों के अनुसार मंडल तथा समितियों की बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा किसी अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से भाग लेने सम्बंधी प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिये भी एओए में परिवर्तन आवश्यक है।

2.8 मंडल के सदस्यों द्वारा एओए के अनुच्छेद 84 के संशोधन के सम्बंध में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु की गई अनुशंषाएं निम्नलिखित हैं-

| एओए के वर्तमान अनुच्छेद | एओए के प्रस्तावित अनुच्छेद |
|---|--|
| <p>अनुच्छेद 84 बोर्ड की समिति की बैठक हेतु कोरम इसकी कुल संख्या का एक तिहाई(एक तिहाई में किसी भिन्न को 1 माना जाएगा) अथवा दो निदेशक जो भी अधिक हो, होना चाहिये।</p> | <p>अनुच्छेद 84 बोर्ड अथवा समिति की बैठक हेतु कोरम, जब तक समिति की संदर्भित शर्तों द्वारा अन्यथा विहित न हो, इसकी कुल संख्या का एक तिहाई(एक तिहाई में किसी भिन्न को 1 माना जाएगा) अथवा दो निदेशक जो भी अधिक हो, होगा तथा कोरम हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों द्वारा शामिल निदेशकों की भी गिनती की जाएगी।</p> |

3. अनुशंसा:

3.1 वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके दिनांक 27 जुलाई, 2018 को पत्र संदर्भ संख्या K-11015/129/2018-E&MDA-DoC के अंतर्गत जारी पत्र में कम्पनी के एओए में प्रस्तावित संशोधनों को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि कम्पनी के एओए में प्रस्तावित संशोधनों को, जो कि उपरोक्त ईजीएम नोटिस के विशेष कार्य मदों की संख्या 1 से 10 (दोनों ही शामिल) तक वर्णित है।

कम्पनी के न ही कोई निदेशक तथा न ही कोई महत्वपूर्ण प्रबंधन व्यक्तित्व अथवा उनके सम्बंधी ईजीएम नोटिस के मद संख्या 1 से 10 पर रेजल्यूशन को पारित करने के प्रति चिंतित अथवा हितबद्ध नहीं है सिवाय श्रीमती गीता मुरलीधर, अप्रनि तथा श्री एम. सैथिलनाथन, कानि (पॉलिसी मामले) के जिनके हित मद संख्या 8 एवं 9 से प्रभावित होते हैं।

प्रबंधन मंडल के आदेश से

(स्मिता वी. पंडित)

कम्पनी सचिव

दिनांक: नवम्बर 15, 2018

स्थान: मुम्बई
